छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (एस) संख्या 3126/2005

आवेदक:

तोषण कुमार अग्रवाल, आत्मज स्व. गौरीशंकर अग्रवाल, निवासी-द्वारा श्रीमती लक्ष्मीबाई अग्रवाल, म.नं. डी/5, यदुनंदन नगर, बिलासपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

अनावेदकगण:

1. म.प्र. शासन द्वारा-सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन, द्वारा-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)
3. कलेक्टर, आदिम जाति कल्याण शाखा, जिला - जशपुर (म.प्र.)
4. कलेक्टर, आदिम जाति कल्याण शाखा, जिला - रायगढ़ (म.प्र.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थिति:

श्री पी.के. पटेल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री अजय द्विवेदी, राज्य के लिए पैनल अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 29 जनवरी, 2008 को पारित)

इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की है।

2) तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि याचिकाकर्ता के भाई, श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, जो आदिम जाति कल्याण विभाग, विकासखण्ड बगीचा में उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में कार्यरत था, सेवाकाल के दौरान दिनांक 4-7-1992 को मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने अपने बड़े भाई सुरेश कुमार अग्रवाल की सेवाकाल में मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु दिनांक 26-7-1992 को एक आवेदन दिया और तत्पश्चात याचिकाकर्ता की माता ने भी अधिकारियों को याचिकाकर्ता, जो कि दिवंगत श्री सुरेश कुमार अग्रवाल का छोटा भाई है, को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन किया। कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, रायगढ़ ने आदेशों दिनांक 28-10-1999 (संलग्नक ए/1) एवं 20-8-1999 (संलग्नक ए/2) द्वारा याचिकाकर्ता और उसकी माता द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि शासन की नीति के अनुसार, भाई को अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण ने **अनिल कुमार गर्ग विरुद्ध म.प्र. राज्य एवं अन्य, ओ.ए. क्र. 155/1995 (1997 एम.पी.आई.जी.आर. 602)** के प्रकरण में राज्य शासन को अनिल कुमार गर्ग, जो दिवंगत कर्मचारी का भाई था, को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया था।

4) अनिल कुमार गर्ग (उपरोक्त) के प्रकरण में पारित आदेश के अवलोकन पर, यह प्रतीत होता है कि अनुकंपा नियुक्ति पर शासन की नीति पर विचार नहीं किया गया था और आवेदन को कई अन्य आधारों पर स्वीकार किया गया था।

5) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना; अभिवचनों, दस्तावेजों और उनके साथ संलग्न शासन की नीति का परिशीलन किया। शासन की नीति के अवलोकन पर, यह प्रतीत होता है कि पिता या माता की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु केवल विधवा और बच्चे ही विचार किए जाने के पात्र हैं। शासन की नीति के अनुसार, भाई अनुकंपा नियुक्ति का पात्र नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) चाहे जो भी हो, यह सुस्थापित है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती की कोई पद्धति नहीं है, अपितु यह संकटग्रस्त परिवार के तत्काल पुनर्वास के लिए प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है ताकि दिवंगत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को निराश्रितता से राहत मिल सके। दूसरे शब्दों में, अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य अभावग्रस्त परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबारने में सक्षम बनाना है, न कि नियोजन प्रदान करना। यह भी सुस्थापित है कि कर्मचारी की मृत्यु मात्र से ही उसका परिवार

अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने का हकदार नहीं हो जाता, यदि परिवार के सदस्य आय के अन्य स्रोतों से स्वयं का आर्थिक निर्वाह कर सकते हों।

7) **हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड एवं अन्य विरुद्ध हाकिम सिंह {(1997) 8 एससीसी 85}** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "किसी भी अनुकंपा नियुक्ति योजना का संपूर्ण उद्देश्य परिवार को सहायता देना है ताकि वह अपने एकमात्र उपार्जक सदस्य की असामयिक मृत्यु के कारण आश्रितों पर आए अचानक वित्तीय संकट से उबर सके।"

8) उच्चतम न्यायालय ने **जम्मू-कश्मीर राज्य एवं अन्य विरुद्ध सज्जाद अहमद मीर {(2006) 5 SCC 766}** के प्रकरण के निर्णय की कंडिका 11 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "11 ....वह यह कि ऐसी नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है। सामान्यतः, शासन या अन्य लोक क्षेत्रों में नियोजन उन सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए खुला होना चाहिए जो आवेदन करने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे आ सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता के आधार पर लोक पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए। इस सामान्य नियम से तब तक विचलन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बाध्यकारी परिस्थितियां मांग न करें, जैसे कि, एकमात्र उपार्जक की मृत्यु और परिवार के इस आघात के कारण पीड़ित होने की संभावना। एक बार जब यह सिद्ध हो जाता है कि उपार्जक की मृत्यु के बावजूद, परिवार जीवित रहा और पर्याप्त अवधि बीत चुकी है, तो नियुक्ति के सामान्य नियम से हटने की और संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिदेश की उपेक्षा करते हुए कई अन्य लोगों के हितों की कीमत पर किसी एक पर उपकार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

9) प्रकरण के तथ्यों पर इन सुस्थापित विधिक सिद्धांत को लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि परिवार को राहत और सहायता प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता भी समाप्त हो गई है और अनुकंपा नियुक्ति, जो कि एक 'बैक डोर एंट्री' (परोक्ष प्रवेश) है, शासन की नीति के विपरीत किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जा सकती। तदनुसार, प्रतिवादियों/अधिकारियों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

10) पूर्वोक्त के दृष्टिगत, यह याचिका खारिज की जाती है। वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**